

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 687 / 2011 / चित्तौड़.

मैसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, रावतभाटा.अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रत्यर्थी.
कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पारस पाटनी, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकिशोर खदाव,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12 / 10 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 35 / MVET / 09-10 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है जिसने अपने ठेके कार्यों की पूर्ति के लिये राज्य के बाहर से टाटा मोटर कम्पनी के बिलों के जरिये टीपर्स की खरीद की थी, जिसे राजस्थान राज्य में लाये जाने पर राजस्थान राज्य में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम 1988' कहा जायेगा) के तहत प्रवेश कर का दायित्व था, परन्तु व्यवहारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत प्रवेश कर जमा नहीं करवाया गया था, तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर निर्धारण करते हुए मोटर वाहनों की कुल कीमत पर राज्य में प्रचलित कर दर अनुसार करारोपण मय ब्याज के किया गया एवं अनिवार्य घोषणा प्रपत्र ई.टी.-1 के अभाव में वाहनों के राज्य में प्रवेश कराये जाने से प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत रुपये 2,00,000/- की शास्ति भी आरोपित की गयी, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण आदेश की पुष्टि की गयी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है और उनकी सुनवाई नहीं की गई, अतः एकपक्षीय आदेश अपास्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा राज्य के बाहर से खरीद किये गये टीपर्स उनके सड़क कार्य के निर्माण के इक्विपमेंट के रूप में काम में आने से इन पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर का दायित्व सृजित नहीं होता है, अतः किसी भी प्रकार का कर आरोपित किया जाना अविधिक है।

4. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त टीपर्स की खरीद के समय अन्य राज्यों में कर चुकाये जाने के कारण राजस्थान राज्य में कर का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है तथा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा इसी माल पर राजस्थान राज्य में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999 के तहत भी प्रवेश कर चुकाया गया है, फलतः माननीय केरल उच्च न्यायालय के मैसर्स बाबू साइरिक बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर व अन्य (135 एस.टी.सी. 375) के निर्णय के प्रकाश में अन्य राज्य में चुकाये गये कर को कम करते हुए ही करारोपण किया जा सकता है, फलतः अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन देने का अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक ने कर राशि पर आरोपित ब्याज का भी विरोध करते हुए कथन किया कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत ब्याज आरोपित किये जाने के कोई प्रावधान नहीं होने से कर निर्धारण आदेश में आरोपित ब्याज भी अपास्त योग्य है एवं इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (94 एस.टी.सी. 422) के आलोक में ब्याज को अपास्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत रूपये 2,00,000/- की जो शास्ति आरोपित की गयी है वह भी अविधिक है, क्योंकि व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह की कर चोरी की मंशा के बिना माल का क्रय किया गया था। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त व्यवहारी द्वारा समस्त माल की खरीद अपने बहियात में दर्शाई हुई थी तथा इनकी खरीद घोषणा प्रपत्र वैट-47 जारी करते हुए की गयी थी जिसका ब्यौरा कर निर्धारण अधिकारी को समय-समय पर प्रस्तुत किया गया था। इस तरह उनके द्वारा कर चोरी का कोई उद्देश्य नहीं होने से एकपक्षीय आदेश से आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय




लगातार.....3

बिनानी सीमेंट सिरोही बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत पाली (आर. टी.आर. 2003 पार्ट-II पेज 484) का हवाला देते हुए कथन किया कि इस सम्बन्ध में यह अवधारित किया गया है कि समस्त संब्यवहार रेकॉर्ड में दर्ज होने से शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है एवं शास्ति को अपास्त किये जाने के निर्णय की पुष्टि की गयी है।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत आरोपित प्रवेश कर एवं शास्ति का समर्थन कर अपीलीय आदेश को त्रुटिविहिन बताया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

9. प्रवेश कर अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार किसी भी मोटर व्हिकल को अन्य राज्य से राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर प्रवेश कर उद्ग्रहणीय किया हुआ है जिसमें ऐसे किसी भी मोटर वाहन पर प्रवेश कर का दायित्व प्रभारित होता है जो मोटर व्हिकल एक्ट, 1939 के तहत पंजीयन के दायित्वाधीन होता है। इस प्रकरण में इस बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से कोई विवाद नहीं किया गया है कि उनके द्वारा खरीद किये गये मोटर वाहनों का पंजीयन मोटर व्हिकल एक्ट के तहत करवाया गया था, फलतः प्रवेश कर अधिनियम 1988 के तहत कर दायित्व होने से प्रवेश कर आरोपणीय है। इसके अलावा अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अन्य राज्य में चुकाये गये कर को माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार समायोजन योग्य है, परन्तु प्रवेश कर अधिनियम 1988 के लिये विहित प्रवेश कर नियम 1992 के नियम 3 में इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान किये हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से मोटर वाहन खरीद करता है एवं उनके द्वारा विभाग से घोषणा प्रपत्र ई.टी.-1 प्रपत्र प्राप्त किया जाता है, उस स्थिति में अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन कर दायित्व के विरुद्ध लिया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा विभाग से घोषणा प्रपत्र ई.टी.-1 प्राप्त किये बिना माल का सीधा प्रवेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में करते हुए मोटर व्हिकल एक्ट 1939 के तहत पंजीयन करवाया गया है, फलतः अपीलार्थी को नियम 3 का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 एवं नियम 3 के तहत प्रभावी कर दर से कर उद्ग्रहणीय होता है।

६

लगातार.....4

10. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण आदेश में आरोपित ब्याज के सम्बन्ध में जो आक्षेप किया गया है कि प्रवेश कर अधिनियम में ब्याज के प्रावधान नहीं होने से ब्याज का आरोपण अविधिक है, यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 7 में स्पष्ट रूप से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के प्रावधान उन समस्त मामलों में *mutatis mutandis* लागू होंगे, जो इस प्रवेश कर अधिनियम 1988 में विशिष्ट तौर से विहित नहीं किये गये हैं, अतः वेट अधिनियम के तहत विहित ब्याज के प्रावधान लागू होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपित किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है, अतः इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार योग्य है।

11. अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण आदेश में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर जो तर्क दिये गये हैं, उन पर विचार किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने खरीद संव्यवहारों को बहियात में दर्ज किया हुआ था तथा उनके द्वारा इन मोटर वाहनों की खरीद के पूर्व वेट अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य घोषणा प्रपत्र वैट-47 भी जारी किया गया था, जिसका विवरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत भी किया हुआ था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का जानबूझकर किसी कर चोरी का उद्देश्य होना प्रमाणित नहीं होता है। इसी बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेंट सिरोही के ऊपर वर्णित निर्णय में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने की पुष्टि की गयी है एवं यह अंकित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा संव्यवहारों को अपनी लेखा-पुस्तकों में अंकित किया गया था, अतः बिना किसी Concealment के शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है, फलतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपित शास्ति रुपये 2,00,000/- को अपास्त किया जाता है।

12. फलतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर रुपये 17.45 लाख एवं ब्याज रुपये 5.93 लाख की पुष्टि की जाती है तथा आरोपित शास्ति रुपये 2,00,000/- अपास्त की जाती है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(कं. एल. जैन)
सदस्य